संख्या-10/2019/1004 /46-2-19-102(13)/2018

प्रेषक,

पवन कुमार गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 02 मई, 2019

विषय- उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु कर्ज के रूप में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-9/2019/790/46-2-19-102(13)/2018 दिनांक 01.05.2019 जिसके माध्यम से उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की रूग्ण सहकारी चीनी मिल बिलासपुर, कायमगंज, बदॉयू, साथा एवं सुल्तानपुर के कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में ऋण के रूप में प्राविधानित रू.1845.35 लाख(रूपया अटठारह करोड़ पैतालीस लाख पैतीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 01.05.2019 के प्रस्तर-9 में त्रुटिवश वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या - 24 के लेखाशीर्षक-"6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-04-चीनी-101-सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज-15-रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु कर्ज-30-निवेश/ऋण" के नामे डाले जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी, जबकि वास्तव में उक्त मद में धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधान किया गया है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-9 में "उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-24 के लेखाशीर्षक-"6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-04-चीनी-101-सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज-15-रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु कर्ज-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा" के स्थान पर प्रस्तर-9 निम्नवत् पढ़ा जाय:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रस्तर-9 "वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-24 के लेखाशीर्षक-"6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-04-चीनी-101-सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज-15-रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु कर्ज-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा"

4. उक्त के फलस्वरूप शासनादेश संख्या-9/2019/790/46-2-19-102(13)/2018 दिनांक 01.05.2019 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(पवन कुमार गंगवार)
विशेष सचिव।

संख्या-10 /2019/1004(1) /46-2-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय) नियन्त्रण अनुभाग-6/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
5- संयुक्त सचिव (श्री गुप्त)/नोडल अधिकारी (बजट), चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।